संख्या-7 /2018 /1247/24-पी-2-18- सा0(84)/2014

प्रेषक:

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, कोषागार,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ
2-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ/मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 जून 2018

विषय:- ऊर्जा निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी का कोषागारों के माध्यम से भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-02/2018/810/24-पी-2-17-सा0(84)/ 2014 दिनांक 26 मार्च, 2018 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैः-

(1) प्रत्येक निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी के बिल कोषागार में प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपद स्तर पर समुचित स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेश की प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार तथा प्रदेश के सभी कोषागारों को पृष्ठांकित की जायेगी।

(2) सचिव, ट्रस्ट जिनके हस्ताक्षर शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2- 16-सा0 (84)/2014 दिनांक 13.01.2016 में दी गयी व्यवस्था अनुसार निदेशक कोषागार, उ0प्र0 द्वारा प्रमाणित किये गये है, के द्वारा उपर्युक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रमाणित कर संबंधित जनपद के कोषागार को प्रेषित किये जायेगें।

(3) अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी आदेश में सेवानिवृत्त कार्मिक के बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण अनिवार्यत: अंकित किया जायेगा। आदेश के साथ बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित एवं आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी।

(4) उपर्युक्त अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिमाह अनन्तिम पेंशन का देयक संगत ट्रेजरी बिल फार्म संख्या 106 पर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा देयक प्रतिहस्ताक्षरित कर बिल का आहरण अपने डी0डी0ओ0 कोड पर करते हुये अनन्तिम पेंशन की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से संबंधित कार्मिक के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(5) अनन्तिम पेंशन का भुगतान छः माह के लिये किया जायेगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की अन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है, तो अनन्तिम पेंशन की अवधि छः माह के लिए विस्तारित की जा सकेगी। बारह माह के उपरान्त अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तरण शासन की अनुमति से किया जायेगा।

(6) अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ करने के पहले अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के रूप में आहरित धनराशि का समायोजन क्रमशः पेंशन एवं ग्रेच्युटी से किया जायेगा। इस हेतु तैनाती के अन्तिम कार्यालय द्वारा अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रमाण पत्र जो संबंधित कोषागार के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उस कोषागार को प्रेषित किया जायेगा, जहां से अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ किया जाना है।

(7) यह आदेश दिनांक 01.04.2018 से लागू माने जायेंगे।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-10-124/54-2018 दिनांक 27 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

<u>संख्या- **7 / 2018** /1247(1)/24-पी-2-2018, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव/निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

एस0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव